

14.6.18

पञ्जाबली न्याय अफेयके द्वारा-२०१८ में अटल सेवा
 केन्द्र कीरामपुरा पेश हुई। प्राची गोपाल अपाक्षिता
 पञ्जाबलीका अवलोकन किया गया। पञ्जाबलीमें
 आम में सुना गया तथा उपस्थित जज नरेश
 से पूछा गया कि गोपालके पिता का नाम क्या
 है जलध मश। गोपालके वादग्रस्त बर्तन
 सुवाके भाई बोदु की वसीयतके द्वारा प्राप्त हुई
 है इसलिए प्राप्त जाचकारी एवं उपलब्ध
 दस्तावेजों के आधार पर किसी प्रकार की
 लिपिकीय गतिनटी हुई है अतः प्राचीका
 धारण कर धारा 136 L.R. प्रथम का खारिज
 किया गया। पञ्जाबली फैसल सुमार टिकर
 दर्ज नम्बर से करंट है। आदेश मजमें आम
 में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
 साँभर लोक

गोपाल